

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

देवी लाल

बनाम

शुभराम

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 41/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/02/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>देवी लाल</u></p> <p>पिता श्री <u>रामचन्द्र बलार</u> - <u>जारीखर</u> पत्नी <u>रामचन्द्र बलार</u></p> <p>निवासी- <u>उदपुरा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>उदपुरा</u> (तह. चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>401</u> / <u>402</u> / <u>408</u> / <u>409</u> / <u>407</u> / <u>411</u> <u>0.05</u> / <u>0.31</u> / <u>0.34</u> / <u>0.14</u> / <u>0.05</u> / <u>0.19</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> कुल रकबा <u>1.0800</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>उदपुरा</u> (तह. चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>401</u> / <u>402</u> / <u>408</u> / <u>409</u> / <u>407</u> / <u>411</u> <u>0.05</u> / <u>0.31</u> / <u>0.34</u> / <u>0.14</u> / <u>0.05</u> / <u>0.19</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> रकबा <u>1.0800</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नकशे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000/-</u> रूपये अक्षरे <u>र. व. ह. न. र. र. र. र. र.</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p><u>2</u> (बीनू देवल) उपखण्ड अधिकारी एवं चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>